न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस
राजस्व अपील :: 54/2009
जीसीएमएस नम्बर :: 2009/00012

अपीलाण्ट्स :-

1. श्रीमती पेपी पुत्री हुकमाराम (पत्नी वरदा) जाति भील निवासी हाल पिलोवनी तहसील देसूरी जिला पाली
2. श्रीमती लीला पुत्री हुकमाराम (पत्नी शेषाराम)
3. मृत लूंगो पुत्री हुकमाराम (पत्नी भीका) जाति भील के वारिस
   3/1. वदिया पुत्री लूंगो (पत्नी मोतीज) जाति भील निवासी कोलपुरा तहसील मारवाड जक्शन जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :-

1. मंशाराम उर्फ मिश्रीलाल पुत्र हुकमाराम
2. पुखाराम पुत्र हुकमाराम
3. भंवरलाल पुत्र हुकमाराम
4. मृत किस्तुरराम पुत्र हुकमाराम के कायम मुकामः-
   4/1. पपाराम पुत्र किस्तुरराम
5. मृत भोपालराम पुत्र हुकमाराम के कायम मुकामः-
   5/1. मदनलाल पुत्र भोपालराम
   5/2. इन्द्रा पुत्री भोपालराम
   5/3. संतोष पुत्री भोपालराम
   5/4 मन्जू पुत्री भोपालराम
   5/5. श्यामा पुत्र भोपालराम
   5/6. मुस्मात सुकिया बेवा भोपालराम
6. मृत भुराराम पुत्र हुकमाराम के कायम मुकाम :-
   6/1. सुगना बेवा भुराराम
   6/2. विजय पुत्र भुराराम
   6/3 संजू पुत्री भुराराम
   जातिगण भील निवासीगण लाम्बिया तहसील पाली जिला पाली (राज.)
7. चिमनाराम पुत्र वीरमराम जाति मेघवाल निवासी रूपावास तहसील व जिला पाली (राज.)
8. मृत लूंगो पुत्री हुकमाराम (पत्नी भीका) जाति भील के वारिसानः-
   8/1. कन्या पुत्री लूंगो (पत्नी गोकुल) जाति भील निवासी मोकमजी का गुडा तहसील मारवाड जक्शन
   8/2. दरिया पुत्री लूंगो (पत्नी ढलजी) जाति भील निवासी सदावास तहसील पाली
   8/3. सुखिया पुत्री लूंगो (पत्नी कनजी) जाति भील निवासी सिरीयारी तहसील मारवाड जक्शन
9. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित
अप्रार्थी संख्या 07 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **30.10.2024**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, पाली द्वारा स्वीकृत ग्राम लाम्बिया के नामान्तरकरण संख्या 219 दिनांक 21.03.1980 को निरस्त कराने बाबत् पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मंगवाया गया। अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित उपस्थित हुए। रेस्पो संख्या 07 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा वक्त बहस उपस्थित हुए। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए लिखत बहस पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लाम्बिया के खसरा नम्बर 220 रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 221 रकबा 10 बिस्वा कुल रकबा 35 बीघा भूमि स्थित है, अपीलाण्ट्स के पिता हुकमाराम के मृत्यु के समय उनकी पत्नी रतनी व 07 पुत्रों के अलावा 04 पुत्रीया क्रमशः पेपी, लीला, लूंगो व पानी भी जीवित थी। अपीलाण्ट्स के पिता हुकमाराम पुत्र पन्ना जाति भील के मृत्यु उपरान्त वादग्रस्त कृषि भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगायत 06 व डायाराम के नाम जैर अपील फौतेदगी नामान्तरकरण के द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ था। वर्तमान में स्वर्गीय हुकमाराम के पुत्र किस्तुरराम, भोपालराम, भुराराम एवं डायाराम की मृत्यु हो चुकी है चुंकि डायाराम लाऔलाद फौत हुए है शेष तीनों मृत्तको के वारिसान के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। अपीलाण्ट्स के केवल तीन भाई मंशाराम, पुखाराम व भंवरलाल ही जीवित है विवादित कृषि भूमि पर रेस्पोडण्ट्स संख्या 01 व 02 ही काश्त कर रहे है अपीलाण्ट्स भील जाति के है, जाति के रूप में नायक लगाते है, लेकिन वास्तविक जाति भील है जो अनुसूचित जनजाति में शुमार है जो धारा 42 राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों अनुसार अनुसूचित जनजाति की कृषि भूमि को गैर अनुसूचित के व्यक्ति को बेचाण प्रतिबंधित है, लेकिन रेस्पोडेण्ट्स संख्या 07 ने विधिक मैण्डेटरी प्रावधानों के विपरीत अपीलाण्ट्स के भाई किस्तूरराम, भोपालराम, भूराराम के वारिसान व भाई भंवरलाल से राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रत्येक के 1/6 हिस्से की कृषि भूमि को अलग–अलग पंजीबद्व विक्रय–पत्र के अधार पर राजस्व रेकर्ड में जैर अपील नामान्तरकरण अमल–दरामद कर दिया गया। चूंकि अनुसूचित जनजाति की कृषि भूमि को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति विधिक रूप से नहीं खरीद सकते है और रेस्पोडेण्ट संख्या 07 गैर अनुसूचित जाति का होने से उक्त दस्तावेज के आधार पर कोई हक–हकूक, अधिकार प्राप्त नहीं होते है, न ही विवादित भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकरी है। उक्त अवैध और शून्य दस्तावेज के आधार पर पारित जैर अपील नामान्तरकरण एब इनिसियो वॉईड एवं शून्य है। जैर अपील नामान्तरकरण मात्र 31 दिन में भरा गया जबकि 45 दिन बाद ही तहसीलदार/नायब तहसीलदार को स्वीकृत करने की अधिकारिता है। इसलिए जैर नामान्तरकरण को बिना क्षेत्राधिकार के स्वीकृत किया गया जो एब इनिशियों वॉइड है जिसे कभी भी चुनौती दी जा सकती है। जैर नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया। अपीलाण्ट्स जनजाति वर्ग से है इसलिए हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान धारा 2(2) अनुसार लागू नहीं होते लेकिन

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

अपीलाण्ट्स भील जाति के है तथा भील जाति में रूढ़ि प्रथा अनुसार पुत्रियों को भी उत्तराधिकार में हिस्सा मिलता है, इस रूढ़ि बाबत् अधीनस्थ न्यायालय ने कोई जांच ही नही की, इसलिए भी अपील स्वीकार योग्य है। किसी भी आराजी में पुत्री का अधिकार है विलम्ब के आधार पर अपील खारिज नहीं की जा सकती है। अतः जैर नामान्तरकरण एब इनिशियो वॉइड एवं शून्य होने से अपील–अपीलाण्ट स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 07 ने वक्त बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर के यहां एक खातेदारी घोषणा का वाद पेश किया हुआ है जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट को जैर नामान्तरकरण की सचेष्ट जानकारी होते हुए भी जैर अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। साथ ही बताया कि भील जनजाति में पुत्रियों को विरासत के नामान्तरकरण में हक नहीं दिया जाता है, क्योंकि भील जनजाति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम का नियम 08 लागू नहीं होता है। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि जैर अपील नामान्तरकरण जारी स्वीकृत करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है व विवादित नामान्तरकरण नियमानुसार ही स्वीकृत किया गया है। अतः अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज फरमावे।

प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र के निर्णय में उचित समझते है कि उक्त आवेदन व शपथ पत्र अखंडित है। रेस्पो. संख्या 07 द्वारा अपील विलम्बित होने का कथन किया गया। प्रकरण में अपीलाण्ट का मृतक हुकमाराम की पुत्री होने का तथ्य स्पष्ट रूप से स्वीकृत है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार पुत्री का भी प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी होना बनता है। तद्नुसार उसे अपने हक अधिकारों से वंचित किये जाने का नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या विधि विरूद्ध है जिससे प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

प्रकरण में समायतशुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन कर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि इस प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील मीमो में यह कथन किया है कि हुकमाराम जिसका विरासत का नामान्तरकरण संख्या 219 दिनांक 21.03.1980 ग्राम लाम्बिया में अपीलाण्ट तथा अन्य पुत्रियों को वंचित रखते हुए रेस्पो. संख्या 1 से 6 पुत्रों के नाम ही जैर नामान्तरकरण दर्ज किया गया जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के विरूद्ध है। अपीलाण्ट द्वारा अन्य तथ्य भी वर्णित किए है जिसमें विवादित आराजियात पर रेस्पो. संख्या 1 व 2 का ही कब्जा होना तथा अपीलाण्ट के 4 भाईयों रेस्पो. संख्या 3, 4, 5 व रेस्पो. संख्या 6 से धारा 42 के प्रावधान के विरूद्ध रेस्पो. संख्या 7 के द्वारा अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जाति वाले व्यक्ति द्वारा भूमि के विक्रय का भी वर्णन किया गया है। हालांकि उक्त विक्रय से संबंधित विवाद इस नामान्तरकरण अपील प्रकरण से संबंधित नही है। अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया है कि 45 दिन ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार के विरूद्ध जाकर तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। सारतः अपीलाण्ट द्वारा पुत्रियां होने एवं मृतक हुकमाराम की विरासत से उन्हें वंचित कर दिए जाने को शीर्षक में एवं रिलीफ में भी वर्णन किया है एवं इसके अतिरिक्त अन्य तथ्य संबंधित नामान्तरकरण से सुसंगत नहीं होने से यह उनके विवेचन किए जाने का कोई औचित्य ही नहीं है।

रेस्पोडेण्ट्स द्वारा जो खण्डन किया गया है उसमें उन्होंने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहाँ चल रहे वाद का उल्लेख किया है परन्तु उक्त वाद इस नामान्तरकरण से संबंधित नहीं है अपितु रेस्पो. संख्या 1 व 2 द्वारा

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

अन्य रेस्पो. संख्या 3 से 6 द्वारा रेस्पो. संख्या 7 को किए गए विक्रय से संबंधित है एवं इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 865 दिनांक 25.01.2009 की अपील भी रेस्पो. संख्या 1 व रेस्पो. संख्या 2 द्वारा रेस्पो संख्या 3 से 6 द्वारा रेस्पो. संख्या 7 को विक्रय किए गए नामान्तरकरण की अपील उप जिला कलक्टर, पाली के यहाँ अपील संख्या 16/2013 दिनांक 26.02.2021 प्रस्तुत की है।

हमारे समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि रेस्पोडेण्ट्स भाईयों द्वारा उनके मध्य किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय किए जाने से संबंधित नहीं होकर बहनों द्वारा प्रस्तुत की गई अपील से संबंधित है जिसमें उनके द्वारा उन्हें उनके पिता की विरासत से वंचित किए जाने से संबंधित है। प्रकरण में रेस्पो. के अन्य उज्र अनुसूचित जनजाति से संबंधित है जिसमें धारा (2)(2) हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के संदर्भ में यह विशिष्ट रूप से रेस्पो. द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है कि भील वर्ग में बहनों को उत्तराधिकार नहीं दिया जाता। अतएव इस परिस्थिति में रेस्पो. का यह तर्क मान्य नहीं है।

समग्र रूप से हम यह पाते है कि इस प्रकरण में विवादित नामान्तरकरण संख्या 219 दिनांक 21.03.1980 ग्राम लाम्बिया तहसील पाली में मृतक हुक्माराम की विरासत के नामान्तरकरण में उसकी पुत्रियां अपीलाण्ट व अन्य को वंचित किया जाना प्रथम–दृष्ट्या प्रमाणित है जो सुस्थापित विधि के विरूद्ध है। अतएव अधीनस्थ न्यायालय के जैर निर्णय को अपास्त किया जाकर तहसीलदार पाली को निर्णय की प्रति–प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में सभी पक्षकारान् एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार दर्ज सभी पक्षकारान् अर्थात् सभी वारिसान एवं उनके क्रेतागण यदि कोई है तो उनको सुनकर विधिवत निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रति मय रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित हो। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.12.2024 को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली